न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 152/2018 **दायरा दिनांक : 03.09.2018**

उनवान

1— शम्भू दयाल आयु 65 साल पुत्र श्री मांगीलाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम पटना, तहसील अटरू, जिला बारां

2— कालू लाल उर्फ प्रदीप आयु 45 साल पुत्र श्री रामनारायण, जाति धाकड़, निवासी ग्राम पटना, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— प्रहलाद आयु 55 साल पुत्र श्री उदा लाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम पटना, तहसील अटरू, जिला बारां

2— पप्पू लाल आयु 50 साल पुत्र श्री उदा लाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम पटना, तहसील अटरू, जिला बारां

3— भरोसी आयु 63 साल पुत्री श्री उदा लाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम पटना, तहसील अटरू, जिला बारां

4— अनोखी बाई आयु 60 साल पुत्री श्री उदा लाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम पटना, तहसील अटरू, जिला बारां

5— नारायण आयु 77 साल साल पुत्र श्री शंकर लाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम पटना, तहसील अटरू, जिला बारां

6— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू, जिला बारां

7— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री गजेन्द्र कुमार नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 17.12.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 109/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट वादीगण क्रम 1 लगायत 5 द्वारा अपीलांट प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि खाता संख्या 177 खसरा नम्बर 211/1475 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 228 रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 230/1074 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 231/1559 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 369 रकबा 0.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 552 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 1031 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 1032 रकबा 0.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 1033/1504 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 1034/1505 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 1045 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 1046 रकबा 0.20 हेक्टर, कुल 19 किता कुल रकबा 4.36 हेक्टर वाके ग्राम पटना, तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है । वादीगण द्वारा सम्वत 2069–72 में अपने खातेदारी में दर्ज होना बताकर आराजी खसरा नम्बर 552 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.13 हेक्टर पर अपीलांट प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा बल पूर्व कब्जा करना बताकर वाद पत्र मिथ्या तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय प्रतिवाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही ढंग से अवलोकन नहीं

किया गया तथा अध्कीनसी न्यायालय द्वारा अपीलांट क्रम 1 को शिविर केम्प में उपस्थित होने की कोई सूचना विधिवत नहीं करवायी गई तथा वादीगण रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय से सांठ गांठ कर राजस्व केम्प में उक्त निर्णय व डिक्री अपने पक्ष में पारित करवा ली जो विधि के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय में दौराने वाद अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा मय प्रतिवादी पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खाता संख्या 177 की खसरा नम्बर 552 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.13 हेक्टर आराजी सैटलमेंट विभाग ने वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 5 से मिलकर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से दर्ज कर दी । जबकि उक्त आराजी अपीलांट प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के पिता श्री मांगीलाल व धूलीलाल, रामनारायण पुत्र मथुरा लाल के नाम राजस्व रिकार्ड में सैटलमेंट से पूर्व संख्या 2036–39 में दर्ज है जिससे सम्बन्धित नकल मिलान क्षेत्रफल व सैटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा मय काउंटर क्लेम के साथ प्रस्तुत की किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व रिकार्ड पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो निरस्त होने योग्य है । अपीलांट अपने पिता के समय से उक्त आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी अपीलांट का ही कब्जा काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 5 से मिली भगत करके उक्त प्रकरण राजस्व केम्प में सुनवाई हेतु भिजवाया जाकर अपीलांट क्रम 1 की अनुपस्थिति में अपीलांट क्रम 2 से यह कहकर हस्ताक्षर करवाये कि तुम्हारे पूर्वज मांगी लाल, धूलीलाल व रामनारायण के खातेदारी में सैटलमेंट से पूर्व आराजी की पैमाईष हेतु टीम गठित की जावे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट व अपीलांट के बीच विवादित आराजी के सम्बन्ध में कोई समजाईश नहीं की । केवल मात्र पत्रावली पर अपीलांट क्रम 2 के हस्ताक्षर करवा कर पत्रावली में दोनों पक्षों के बीच समझाईश बताकर उक्त निर्णय पारित किया गया जो विधि विरूद्ध

होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड दस्तावेज सरकारी दस्तावेज है, जिनका बनावटी व फर्जी होने का कोई अन्देशा नहीं होने के बावजूद भी अध्कीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज पर कोई गौर नहीं करते हुए निर्णय पारित किया है जो कानून में निहित प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2015 निरस्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.07.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अपीलांट अपील के तथ्य प्रमाणित करने में विफल रहा है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है, न्याय संगत व विधि मान्य है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा